

प्रेषिका,

श्रीमती शैला
अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय
गौतमबुद्धनगर।

सेवा में,

श्रीमान उप निबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा- श्रीमान प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय,
गौतमबुद्धनगर

विषय:- कय किये गये फ्लैट के संदर्भ में सूचना।

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि मैंने दिनांक 14.06.2006 को उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में अपर सिविल जज (जू0डि0) में ज्यातिबा फूले नगर जनपद न्यायालय में पदभार ग्रहण किया था।

वर्तमान में मेरा सम्पूर्ण वेतन-1,92,387/-रूपये प्रतिमाह है तथा मेरे पति श्री मनोज कुमार न्यायिक सेवा में हैं जोकि अपर जनपद न्यायाधीश, गौतमबुद्धनगर के पद पर नियुक्त हैं। इस संव्यवहार के पूर्व अपनी चल-अचल सम्पत्ति की सूचना मेरे द्वारा प्रोपर्टी स्टेटमेंट की बावत नियमानुसार प्रेषित की जा चुकी है।

मेरे द्वारा गोवर्धन एन्कलेव योजना रायबरेली, लखनऊ उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद लखनऊ से दिनांक 26.08.2021 को फ्लैट सं-20/डी-4/403, 2बीएचके, टाईप-बी फ्लैट का पंजीकरण कराया गया है जो कि वर्ष 2015 में लॉटरी ड्रॉ के द्वारा मुझे आवंटित हुआ था जिसकी अंकन-2,32,000/-रूपये त्रैमासिक किश्त थी जो सेलरी एकाउण्ट से 11 (ग्यारह) माह की त्रैमासिक किश्तों में अदा की गई है तथा पंजीयन शुल्क, स्टाम्प शुल्क व अन्य शुल्क भी मेरे द्वारा सेलरी एकाउण्ट से कुल धनराशि 45,99,527/-रु0 उक्त फ्लैट हेतु अदा की गई है जिसमें मेरे द्वारा 1,00,000/-रूपये अपने ससुर से बैंक के जरिये दिनांक 25.02.2016 को अपने खाते में लिये गये हैं तथा 1,25,000/-रूपये का ऋण मेरे द्वारा एल.आई.सी. पॉलिसी नं0-3139334684 पर लिया गया था जो कि मेरी सेलरी से पे हो चुका है तथा 2,00,000/-रूपये एसबीआई बैंक बदायूं से व्यक्तिगत ऋण लिया गया है जोकि मेरी सेलरी से पे हो चुका है तथा 70,000/-रूपये मेरे द्वारा दिनांक 14.09.2018 को मेरे पति श्री मनोज कुमार से जरिये बैंक मेरे एकाउण्ट में लिया गया है। उक्त फ्लैट का कब्जा मुझे दिनांक 25.09.2021 को उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद लखनऊ द्वारा प्राप्त कराया गया है।

मैंने माननीय उच्च न्यायालय से इस हेतु कोई अग्रिम धनराशि/ऋण नहीं लिया है।

मेरा कोई सम्बन्ध विक्रेता उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण लखनऊ से नहीं है, न ही लखनऊ विकास प्राधिकरण का कोई मामला मेरे न्यायालय में लम्बित है और न कभी लम्बित रहा है।

फ्लैट की कय मूल्य-43,14,937/-रु0, स्टाम्प शुल्क-2,38,800/-रु0 तथा पंजीयन शुल्क-35,590/-रु0 कुल योग-45,99,527/-रु0 पर हुआ।

उपरोक्त सूचना माननीय महोदय के समक्ष सादर अवलोकनार्थ प्रस्तुत की जा रही है।
"सादर प्रेषित।"

भवदीया,
Shaila

श्रीमती शैला

अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय
गौतमबुद्धनगर।

दिनांक-13.12.2021

संलग्नक:-गोवर्धन एन्कलेव योजना लखनऊ द्वारा उक्त फ्लैट की बावत की गई रजिस्ट्री की प्रति।

Endorsment No. 273/21, Dt. 13.12.21
Forwarded to...
Principal Judge,
Family Court
Gautam Budh N. :
13/12/21.

25331/



सत्यमेव जयते



INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Certificate No. : IN-UP41959272438909T
 Certificate Issued Date : 24-Aug-2021 02:15-PM
 Account Reference : NONACC (BK)/ upbobbk02/ VRINDAWAN YOGNA/ UP-LKN
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUPBOBBK0267211266156686T
 Purchased by : MANOJ KUMAR
 Description of Document : Article 23 Conveyance
 Property Description : FLAT NO 20/D-4/904, 2BHK TYPE B GOVERDHAN ENCLAVE,
 VRINDAVAN YOJNA RAIBARELI ROAD, LUCKNOW.
 Consideration Price (Rs.) :
 First Party : UTTAR PRADESH AWAS EVAM VIKAS PARISHAD LUCKNOW
 Second Party : MANOJ KUMAR
 Stamp Duty Paid By : MANOJ KUMAR
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 2,49,000
 (Two Lakh Forty Nine Thousand only)

Handwritten mark



Please write or type below this line.....



क्रेता




विक्रेता

KC0004563000

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority

IS 15700:2005



शेजोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय
प्रथम तल आफिस कामपलेकरा रोड-9
वृन्दावन योजना लखनऊ।

राष्ट्रीय मानक न्यू

IS 15700



पत्रांक 9617

/सं0प्र0 वृन्दावन/

दिनांक 26-8-201

सेवा मे,

श्री मनोज कुमार

पुत्र श्री छेदी राम

निवासी म0न0-175/1, रवि नगर कालोनी, मुगलसराय मुगलसराय, सकलडीहा,
चंदौली (उ0प्र0)232101

विषय:-गोवर्धन एन्क्लेव के 2BHK Type B के फ्लैट सं0 20/D-4/904 के विक्रय विलेख के पंजीयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध मे सूचित करना है कि आपके पक्ष मे आंवटित फ्लैट सं0 20/D-4/904 का विक्रय विलेख रू0 249000.00 के स्टाम्प पेपर निष्पादित कर दिया गया है जो मूलरूप मे एवं एक छायाप्रति के साथ अन्य सम्बन्धित प्रपत्र संलग्न कर इस आशय से दिया/भेजा जा रहा है कि कृपया 25 दिनों के अन्दर सब रजिस्ट्रार लखनऊ के कार्यालय मे उपस्थित होकर विलेख पंजीयन कराकर विलेख की एक प्रमाणित प्रति तीन दिवसों के अन्दर इस कार्यालय मे प्रस्तुत करे ताकि फ्लैट का कब्जा पत्र भौतिक कब्जे हेतु निर्गत किया जा सके जिससे परिषद द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जा सके।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(के0डी0शर्मा)

सम्पत्ति प्रबन्धक

पृष्ठ सं0







/उक्त/

तददिनांक

प्रतिलिपि:-

- 1- रजिस्ट्रार कार्यालय, सरोजनी नगर, लखनऊ को उक्त सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सम्पत्ति प्रबन्धक

सिलसिले का नम्बर	बही	खण्ड	पृष्ठ	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	प्रस्तुतकर्ता निष्पादनकर्ता नाम व पता	पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटोग्राफ
1	2	3	4	5	6	7
					क्रेता / प्रस्तुतकर्ता श्री मनोज कुमारपुत्र श्री छेदी राम म0न0-175/1, रवि नगर कालोनी, मुगलसराय मुगलसराय, सकलडीहा, चंदौली (उ0प्र0)232101	 क्रेता
					विक्रेता सम्पत्ति प्रबन्धक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, वृन्दावन योजना, रायबरेली रोड, लखनऊ	 विक्रेता
						
					 योजना सहायक आवास एवं विकास लखनऊ	



भारत सरकार



मनीज कुमार
Manoj Kumar
DOB. 16-04-1978
Gender Male



3824 8495 1573

भारत - आम आदमी का अधिकार

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार
GOVT OF INDIA



स्थायी लेखा संख्या कार्ड
Permanent Account Number Card
AYNPK1859N



नाम / Name
MANOJ KUMAR

पिता का नाम / Father's Name
CHHEDI RAM

जन्म की तिथि /
Date of Birth
16/04/1978

हस्ताक्षर / Signature



भारत के विभिन्न प्रदेशों में प्रधिकरण
INDIA'S DEPARTMENTAL DEPUTY OF INDIA

जानाब: छेदी राम, 175 / 1, रवि
नगर कालोनी, मुगलसराय,
मुगलसराय, सकाईधा, चंडौली, उत्तर
प्रदेश, 232101

Address:
S/o: Chhedi Ram, 175 / 1, Ravi
Nagar Colony, Mugalsarai,
Mugalsarai, Sakaidiha, Chandauli,
Uttar Pradesh, 232101



1947
1800 300 1947

help@under.gov.in

www.uidai.gov.in

P.O. Box No.1847,
Bengaluru-560 804



भारत सरकार

Government of India



जुरैर अहमद अजमी
Zurair Ahmad Azimi

जन्म तिथि / DOB : 07/04/1974

पुरुष / Male



6946 3811 8183

अध्या - आम आदमी का अधिकार



Government of India

414, इलाहाबाद ऑफिस बिल्डिंग, लखनऊ
414, इलाहाबाद ऑफिस बिल्डिंग, लखनऊ
414, इलाहाबाद ऑफिस बिल्डिंग, लखनऊ

6946 3811 8183



भारत सरकार
GOVERNMENT OF U.P.



मोहम्मद अलीफ

Mohammad Arif

जन्म तिथि/ DOB: 12/04/1990

पुरुष / MALE



6326 4713 0121

आधार-आम आदमी का अधिकार



भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
INDIAN NATIONAL AUTHORITY FOR BIOMETRIC IDENTIFICATION

पता:

S/O मोहम्मद अली, १११/८२१
आजद नगर, १११ लेन,
आलमबाग, आलमबाग,
लखनऊ,
उत्तर प्रदेश - 226005

Address:

S/O Mohmmad Ali, 111-815 AJAD
NAGAR, 111 lane, ALAMBAGH,
Alumbagh, Lucknow,
Uttar Pradesh - 226005

6326 4713 0121

Aadhaar-Aam Admi ka Adhikar

विक्रय विलेख


यह विक्रय विलेख आज दिनांक 26 माह 08 वर्ष 2021 की उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 के अधीन गठित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, जिसका प्रधान कार्यालय लखनऊ में है। जिसे एतद् पश्चात् "परिषद" कहा गया है जिसका कार्य उसके आवास आयुक्त के माध्यम से होता है और जिस पद का तात्पर्य और जिसमें जब तक कि कोई बात प्रसंग के प्रतिकूल न हो, उक्त परिषद इसका पद धारक उत्तराधिकारी और अग्र्यादि है और सम्मिलित हैं।


एक पक्ष और श्री मनोज कुमार पुत्र श्री छेदी राम निवासी- म0न0-175/1, रवि नगर कालोनी, मुगलसराय मुगलसराय, सकलडीहा, चंदौली (उ0प्र0)232101 जिसके एतद्पश्चात् पंजीकृत इच्छुक केता कहा गया है और जिस पद का तात्पर्य और जिस में जब तक कि कोई बात प्रसंग के प्रतिकूल न हो, उक्त पंजीकृत इच्छुक केता, उसके उत्तराधिकारी, विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक और प्रशासक से है और सम्मिलित है दूसरे पक्ष के बीच किया गया, यह प्रदर्शित करता है कि-

चूंकि उक्त परिषद भूमि की स्वामी है और उसने शहर/नगर लखनऊ तहसील लखनऊ जिला लखनऊ में वृन्दावन योजना संख्या-4 नामक मुहल्ले के सेक्टर 20 में निर्मित गोवर्धन एन्चलेय 2BHK Type B का फ्लैट संख्या-20/D-4/904 का कुल मूल्य है और चूंकि उक्त परिषद ने रू० 3427237.00 (रू० चौतीस लाख सत्ताईस हजार दो सौ सैतीस मात्र) जिसका आधा रू० 1713618.50 (रू० सत्त्रह लाख तेरह हजार छः सौ अट्ठारह एवं पैसे पचास मात्र) होता है, के प्रतिफल स्वरूप उक्त सम्पत्ति (संख्या 20/D-4/904) को, जिसका पूर्ण विवरण और जिसकी माप इस विलेख से संलग्न अनुसूची "क" में उल्लिखित है।

(जिसे एतद्पश्चात् उक्त सम्पत्ति के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) बेचने का प्रस्ताव किया है और चूंकि इच्छुक केता उक्त सम्पत्ति को परिषद से उक्त मूल्य पर और इस विलेख में वर्णित निबन्धन और शर्तों के अधीन कय करने के लिए सहमत है अतएव रू० 3427237.00 (रू० चौतीस लाख सत्ताईस हजार दो सौ सैतीस मात्र) की धनराशि के प्रति फलस्वरूप एतद्द्वारा उक्त सम्पत्ति अर्थात् फ्लैट संख्या 20/D-4/904 केता को उसे निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों के अधीन सर्वदा धृत करने के लिए विक्रय और अन्तरित करती है:-

- (1) परिषद को उक्त सम्पत्ति का, जो ऐसे प्रयोजन के अनुसरण में जिसके लिए परिषद का गठन किया गया था, एतद्द्वारा विक्रय किया गया हो, हस्तान्तरण करने का पूर्ण अधिकार और स्पष्ट प्राधिकार है।
- (2) एतद्द्वारा हस्तान्तरित उक्त सम्पत्ति समस्त भार से मुक्त है।
- (3) उक्त सम्पत्ति का वास्तविक कब्जा इच्छुक केता को प्रदत्त किया जाना है।
- (4) इच्छुक केता उक्त सम्पत्ति को परिषद द्वारा या उक्त परिषद के अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न किसी व्यवधान या बाधा के बिना ग्रहीत करेगा और उसका उपभोग करेगा।


क्रेता

कमशः 2 पर

विक्रेता

(5) यदि केता एतद्वारा हस्तान्तरित उक्त सम्पूर्ण सम्पत्ति या उसके किसी भाग से किसी पूर्ववर्ती भार प्रस्ताव, किन्हीं दावों या भागों के कारण या उक्त परिषद के बुद्धिपूर्वक हक के कारण वंचित किया जाय तो उक्त परिषद केता को युक्ति युक्त सीमा तक हानिकारिता और खर्च की क्षति पूर्ति करेगी।

(6) उक्त सम्पत्ति का विक्रय कर दिया गया है और इच्छुक केता ने इसे उक्त परिषद द्वारा यथा प्रस्तावित भूखण्डों/प्लॉटों और मकानों के इच्छुक केताओं को पंजीकरण की योजना से संबंधित नियमों और अनुदेशों के अधीन कर दिया है और इसमें ऐसे संशोधन या परिवर्द्धन किए जा सकेंगे जो समय-समय पर प्रस्तावित और लागू किये जायें जिनमें से कुछ नीचे उद्धृत किए जा रहे हैं:-

(क) सम्पत्ति का हस्तान्तरण इच्छुक केता को इसकी वर्तमान दशा में किया गया है और केता को बाद में किसी कारण से कोई शिकायत या आपत्ति नहीं होगी। और न ही कोई दावा इस सम्बन्ध में स्वीकार्य होगा।

(ख) केता द्वारा सम्पत्ति का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन के लिए किया जाएगा।


(7) उक्त सम्पत्ति का विक्रय कर दिया गया है और केता ने इसे इस बात की स्पष्ट और पूरी समझदारी के साथ कर दिया है कि केता केन्द्रीय या राज्य सरकारों के किसी प्राधिकारी द्वारा परिषद से किसी धनराशि के लिए चाहे जो भी हो, दावा किए गये किन्हीं प्रभारों के आनुपातिक भुगतान के लिए सदैव देनदार रहेगा। और यह कि उक्त केता उक्त परिषद की कालोनी में सड़कों, जल सम्पूर्ति, बिजली, सीवर और जल निस्तारण और किन्हीं अन्य सुविधाओं के अनुरक्षण और विनियम जैसी व्यवस्था के प्रभार के प्रतिकिसी अंशदान के लिए भी, जैसी और जब अपेक्षा की जाय, देनदार होगा और इच्छुक केता द्वारा परिषद को देय ऐसी मासिक या वार्षिक धनराशि उक्त सम्पत्ति (संख्या- 20/D-4/904) पर प्रथम प्रभार के रूप में होगी और परिषद उक्त धनराशि को 13.5% की दर से ब्याज सहित पंजीकृत केता से वसूल करने की विधिक रूप से हकदार होगी।


(8) केता उक्त सम्पत्ति का उपयोग आवासीय प्रयोजन के सिवाय किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं करेगा/करेगी और वह विक्रय किये गये सम्पत्ति के सम्बन्ध में परिषद के सभी अनुदेशों को सर्वथा अनुसरण करेगा/करेगी।

(9) इस विलेख के अधीन परिषद से इच्छुक केता का आवंटित भूमि में जिस पर उक्त सम्पत्ति संख्या- 20/D-4/904 स्थित है के अतिरिक्त अनुलग्न भूमि निर्माण या उसके बगल में स्थित भूमि/निर्माण में किसी भी प्रकार का कोई हक संक्रमित नहीं होगा या संक्रमित नहीं समझा जाये।

(10) केता ने विलेख में दिए गये निबन्धन और शर्तों को ध्यान पूर्वक पढ़ लिया है और उसके पूर्णरूप से जानकारी है कि इस विक्रय विलेख के अधीन उसके द्वारा प्राप्त किये गये अधिकार सदैव विलेख में दिये गये निबन्धनों और शर्तों के अधीन होंगे।

(11) केता को प्लेट्स का भौतिक कब्जा प्राप्त करने की तिथि से दो वर्ष तक अनुरक्षण व्यय हेतु रू० 1371.00 प्रति माह " कार्पस फण्ड" में जमा करना होगा। गोवर्धन एन्क्लेव में सर्वप्रथम व्यक्ति को दिये गये कब्जा की तिथि से 2 वर्ष के बाद मेन्टीनेन्स का कार्य आवंटियों की समिति को कार्पस फण्ड की अवशेष बची धनराशि सहित हस्तगत करा दिया जायेगा। तत्पश्चात समिति द्वारा उक्त एन्क्लेव को अपने श्रोतो से करना होगा। निर्धारित रख-रखाव व्यय भौतिक कब्जा प्राप्त करने की तिथि से 2 वर्ष तक प्रति माह केता को देना होगा। आवासीय समिति का सदस्य प्रत्येक केता से बनना अनिवार्य होगा।


क्रेता


विक्रेता

कमश: 3 पर

(5) यदि क्रेता एतद्वारा हस्तान्तरित उक्त सम्पूर्ण सम्पत्ति या उसके किसी भाग से किसी पूर्ववर्ती भार ग्रस्तता, किन्हीं दावों या मांगों के कारण या उक्त परिषद के त्रुटियुक्त हक के कारण वंचित किया जाय तो उक्त परिषद क्रेता को युक्ति युक्त सीमा तक हानि, क्षति और खर्च की क्षति पूर्ति करेगी।

(6) उक्त सम्पत्ति का विक्रय कर दिया गया है और इच्छुक क्रेता ने इसे उक्त परिषद द्वारा यथा प्रस्तावित भूखण्डों/प्लेटों और मकानों के इच्छुक क्रेताओं को पंजीकरण की योजना से संबंधित नियमों और अनुदेशों के अधीन कय किया है और इसमें ऐसे संशोधन या परिवर्द्धन किए जा सकेंगे जो समय-समय पर प्रस्तावित और लागू किये जायें जिनमें से कुछ नीचे उद्धृत किए जा रहे हैं:-

(क) सम्पत्ति का हस्तान्तरण इच्छुक क्रेता को इसकी वर्तमान दशा में किया गया है और क्रेता को बाद में किसी कारण से कोई शिकायत या आपत्ति नहीं होगी। और न ही कोई दावा इस सम्बन्ध में स्वीकार्य होगा।

(ख) क्रेता द्वारा सम्पत्ति का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन के लिए किया जाएगा।


(7) उक्त सम्पत्ति का विक्रय कर दिया गया है और क्रेता ने इसे इस बात की स्पष्ट और पूरी समझदारी के साथ कय किया है कि क्रेता केन्द्रीय या राज्य सरकारों के किसी प्राधिकारी द्वारा परिषद से किसी धनराशि के लिए चाहे जो भी हो, दावा किए गये किन्हीं प्रभारों के आनुपातिक भुगतान के लिए सदैव देनदार रहेगा। और यह कि उक्त क्रेता उक्त परिषद की कालोनी में सड़को, जल सम्पूर्ति, बिजली, सीवर और जल निस्तारण और किन्हीं अन्य सुविधाओं के अनुरक्षण और विनियम जैसी व्यवस्था के प्रभार के प्रतिकिसी अंशदान के लिए भी, जैसी और जब अपेक्षा की जाय, देनदार होगा और इच्छुक क्रेता द्वारा परिषद को देय ऐसी मासिक या वार्षिक धनराशि उक्त सम्पत्ति (संख्या- 20/D-4/904) पर प्रथम प्रभार के रूप में होगी और परिषद उक्त धनराशि को 13.5% की दर से ब्याज सहित पंजीकृत क्रेता से वसूल करने की विधिक रूप से हकदार होगी।

(8) क्रेता उक्त सम्पत्ति का उपयोग आवासीय प्रयोजन के सिवाय किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं करेगा/करेगी और वह विक्रय किये गये सम्पत्ति के सम्बन्ध में परिषद के सभी अनुदेशों को सर्वथा अनुसरण करेगा/करेगी।

(9) इस विलेख के अधीन परिषद से इच्छुक क्रेता का आवंटित भूमि में जिस पर उक्त सम्पत्ति संख्या- 20/D-4/904 स्थित है के अतिरिक्त अनुलग्न भूमि निर्माण या उसके बगल में स्थित भूमि/निर्माण में किसी भी प्रकार का कोई हक संक्रमित नहीं होगा या संक्रमित नहीं समझा जाये।

(10) क्रेता ने विलेख में दिए गये निबन्धन और शर्तों को ध्यान पूर्वक पढ़ लिया है और उसके पूर्णरूप से जानकारी है कि इस विक्रय विलेख के अधीन उसके द्वारा प्राप्त किये गये अधिकार सदैव विलेख में दिये गये निबन्धनों और शर्तों के अधीन होंगे।


(11) क्रेता को प्लेट्स का भौतिक कब्जा प्राप्त करने की तिथि से दो वर्ष तक अनुरक्षण व्यय हेतु रू० 1371.00 प्रति माह " कार्पस फण्ड" में जमा करना होगा। गोवर्धन एन्क्लेव में सर्वप्रथम व्यक्त को दिये गये कब्जा की तिथि से 2 वर्ष के बाद मेन्टीनेन्स का कार्य आवंटियों की समिति को कार्पस फण्ड की अवशेष बची धनराशि सहित हस्तगत करा दिया जायेगा। तत्पश्चात समिति द्वारा उक्त एन्क्लेव को अपने श्रोतो से करना होगा। निर्धारित रख-रखाव व्यय भौतिक कब्जा प्राप्त करने की तिथि से 2 वर्ष तक प्रति माह क्रेता को देना होगा। आवासीय समिति का सदस्य प्रत्येक क्रेता को बनना अनिवार्य होगा।



क्रेता


विक्रेता

कमशः 3 पर

- (12) सुपर एरिया पर रू० 1.25 प्रति वर्ग फुट प्रति माह की दर से सामान्य सेवाओं जैसे लैम्प लाईट, सेक्योरिटी गार्ड, ट्यूबवेल आपरेशन, कम्प्युनिटी सेन्टर की देख-रेख, सफाई विद्युत बिल आदि के रख-रखाव हेतु प्रत्येक प्लैट्स ओनर को प्रतिमाह अतिरिक्त देना होगा। जीना बगमदा पार्किंग स्थान, पार्क, सुरक्षा कर्मचारी, माली, जमादार आदि का वेतन एवं सीवर सिस्टम का रख-रखाव (एस०टी०पी०) एवं अन्य कामन नेचर की सेवाएँ आदि शामिल होंगी।
- (13) नगर निगम अथवा अन्य किसी विभाग/निकाय द्वारा लगाये गये समस्त कर शुल्क गृहकर, जलकर आदि का भुगतान नियमानुसार क्रेता को अदा करना होगा।
- (14) योजना आवासीय योजना है अतः प्लैट्स का प्रयोग केवल आवास हेतु किया जायेगा। क्रेता को प्लैट्स में किसी भी प्रकार का निर्माण परिवर्तन अनुमत्य नहीं है। उल्लंघन किये जाने पर विधिक कार्यवाही की जा सकेगी एवं विक्रय-विलेख को निरस्त किया जा सकेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त शासन/परिषद के नियम, आदेश व निर्णय क्रेता पर प्रभावी होंगे।
- (15) सर्वोच्च मंजिल की छत पर किसी क्रेता विशेष का अधिकार नहीं होगा तथा यह उसी टावर के समस्त रेजीडेन्ट्स की सामुदायिक सेवाओं हेतु उपलब्ध रहेगा।
- (16) क्रेता द्वारा विद्युत विभाग लखनऊ से निर्धारित बॉलित औपचारिकतायें पूर्ण करके विद्युत कनेक्शन लिया जाना होगा। उक्त के अतिरिक्त दूरभाष एवं अन्य सर्विस कनेक्शन स्वयं के व्यय से लिया जा सकता है। परन्तु यह सुनिश्चित करना होगा कि इससे गोवर्धन एन्वलेव के वाह्य एवं स्थायी स्ट्रेक्चर पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े एवं इस हेतु परिषद से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना होगा।
- (17) प्रत्येक क्रेता को प्लैट के वाह्य मेन्टीनेंस, मरम्मत, पेन्टिंग, ट्यूबवेल मरम्मत, कामन एरिया की लाईट की मरम्मत एवं बदलाव सीवर, नाली, एस०टी०पी० एवं वाह्य विद्युतीकरण आदि के सम्बन्ध में जो व्यय आयेगा, वह क्रेताओं के मध्य विभाजित एवं देय होगा।
- (18) आवंटित क्षेत्रफल जैसे पार्किंग का स्थान स्वतन्त्र एरिया एशोसिएशन को हस्तान्तरित किया जायेगा तथा इस पर कोई भी निर्माण एवं परिवर्तन बिना विक्रेता परिषद की अनुमति के मान्य नहीं होगा।
- (19) क्लब, ओपेन एरिया, पार्किंग आदि कामन एरिया उ०प्र० अपार्टमेन्ट्स (परमोशन आफ कास्ट्रक्शन ओनर शिप एण्ड मेन्टीनेन्स एक्ट-2010) के अनुसार परिषद का रहेगा।
- (20) प्लैट के हस्तान्तरित क्षेत्रफल में प्लैट्स की चारों दिवारों से लगे हुए प्लैट में दिवारों का आधा भाग प्लैट में शामिल होगा।
- (21) पुस्तिका में असमावेशित रहगयी शर्तों के विषय में सम्बन्धित शासनादेशों व परिषद के प्राविधान प्रभावी होंगे।
- (22) किसी भी प्रकार के वाद का परिक्षेत्र लखनऊ होगा।
- (23) क्रेता द्वारा प्लैट के विरुद्ध किये गये भुगतान का विवरण अनुसूची-क में है।
- (24) उक्त प्लैट का विनियमित क्षेत्र/विकास क्षेत्र सेक्टर-20, वृन्दावन योजना सं०-4 लखनऊ।
- (25) सम्बन्धित भूमि के गाटा संख्या का महायोजना में प्रस्तावित भू-उपयोग, पाक, खुले स्थल हरित पट्टिका, क्रीड़ा स्थल तथा महायोजना मार्ग होने के फलस्वरूप आवासीय भू-उपयोग है।
- (26) भू-उपयोग के विरुद्ध निर्माण किये जाने की दशा में ध्वस्तीकरण सहित समस्त विधिक कार्यवाही हेतु क्रेता उत्तरदायी होगा।


क्रेता


विक्रेता

कमशः 4 पर

प्रतिफल की धनराशि रूपये में)
मूल्य रू० 3552074.00
स्टाम्प पेपर रू० 249000.00

अनुसूची "क"

उक्त फ्लैट का कुल मूल्य रू० 3427237.00 ब्याज/दण्ड ब्याज रू० 124837.00 कुल रू० 3552074.00 आवंटी द्वारा परिषद को भुगतान किया गया है।

नोट:-(1) शासनादेश सं०वि०क०नि 5-2756/11-2008-500(115)-2007 दिनांक 30.06.2008 एवं शासनादेश संख्या- 772/स्टाम्प लिपिक-2015 दिनांक 15.12.2015 के अन्तर्गत 7 प्रतिशत की दर से ई स्टैम्प प्रमाण पत्र नं० IN-UP41959272438909T, DATE:- 24/08/2021 रू० 249000.00 के ई० स्टाम्प पेपर पर विक्रय विलेख निष्पादित किया जा रहा है।


नोट:-(2) आवंटित फ्लैट संख्या 20/D-4/904 जो निर्गत पत्र सं० 7978 दिनांक 06/07/2021 छायाप्रति संलग्न के अनुसार उत्तर प्रदेश शासन कर एवं निबन्धन अनुभाग-7, आदेश संख्या-13/संख्या-क०नि०-7-440/11-2015-700(111) /13 लखनऊ दिनांक 30, मार्च, 2015 के शासनादेश अनुसार विक्रय विलेख एक वर्ष के अन्दर निष्पादित किया जा रहा है।

वृन्दावन योजना संख्या-4 नामक मुहल्ले के सेक्टर-20

मे निर्मित गोवर्धन एन्क्लेव का फ्लैट संख्या-20/D-4/904

विक्रय की गई सम्पत्ति की अनुसूची

1-	भूमि प्रयोग	-	आवासीय प्रयोग
2-	भूमि का प्रकार	-	फ्लैट
3-	मोहल्ला/ग्राम	-	सेक्टर-20 इब्राहिमपुर वार्ड, लखनऊ
4-	ब्लाक	-	20/D-4
5-	प्रकार	-	2BHK Type B
6-	सम्पत्ति का विवरण	-	फ्लैट संख्या:- 20/D-4/904
7-	फ्लैट का तल	-	9 TH FLOOR
8-	भूमि का माप	-	31.38 वर्ग मीटर
9-	फ्लैट का निर्मित क्षेत्रफल	-	750 वर्ग मीटर
10-	फ्लैट का सुपर एरिया	-	101.87 वर्ग मीटर
11-	फ्लैट का प्रकार	-	आवासीय फ्लैट्स
12-	कुल क्षेत्रफल	-	101.87 वर्ग मीटर
13-	कुल कर्वड क्षेत्रफल	-	750 वर्ग मीटर
14-	स्टेट्स फिनिशड	-	फिनिशड
15-	प्रतिफल की धनराशि	-	रू० 3552074.00
16-	मूल्य	-	रू० 3427237.00
17-	बाउन्ड्री आफ दी फ्लैट्स संख्या संलग्नक साईट प्लान के अनुसार।		



क्रेता



विक्रेता

कमशः 5 पर

आवेदन सं०: 202101041033146

विक्रय पत्र

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 25331

वर्ष: 2021

प्रतिफल- 3552074 स्टाम्प शुल्क- 249000 बाजारी मूल्य - 3552074 पंजीकरण शुल्क - 35530 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग: 35590

श्री मनोज कुमार,
पुत्र श्री छेदी राम
व्यवसाय: नौकरी
निवासी: म०न०-175/1 रवि नगर कालोनी मुगलसराय मुगलसराय सकलडीहा चंदौली
उ०प्र० 232101




ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 26/08/2021 एवं 03:33:36 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

जिर्मल सिंह

उप निबंधक, सरोजनीनगर

लखनऊ


26/08/2021


ओम प्रसाद सिंह
निबंधक लिपिक


अनुसूची-ख
(क्रेता द्वारा किये गये भुगतान का विवरण)

जिसके साक्ष्य में श्री केशव देव शर्मा, सम्पत्ति प्रबन्धक ने परिषद के लिए और उसकी ओर से और श्री मनोज कुमार आशयिता 20/D-4/904 क्रेता ने स्वयं खरीदार के रूप में स्वेच्छा और सम्पत्ति से किसी प्रभाव या प्रपीड़न के बिना साक्षियों की उपस्थिति में एतद्वारा अपने-अपने हस्ताक्षर किये।


क्रेता के हस्ताक्षर
क्रेता


परिषद की ओर से एवं उसके लिए
सक्षम अधिकारी
विक्रेता

1-साक्षी:-ह० 

1-साक्षी:-ह० 
26/01/2024



Z.A. Azmi
4/3 Dalibagh
officer colony, Lko
पता:-ह०
A.N. Singh

नाम:-

पता:-

2-साक्षी:-ह०

नाम:- A.N. Singh

पता:- 403; Gyan Ganga
Apartment; 175 Faizabad
Road; Lucknow

नाम:-

पता:-



Arit

शान्ति सहायक
आवास एवं विकास अधिकारी
लखनऊ